

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक: प0 3 (4) गृह-10/16

दिनांक 14.07.2016

आदेश

इस विभाग की आज्ञा प0 3 (4) गृह-10/16 दिनांक 06.07.2016 के अनुसरण में पदोन्नत निम्नलिखित उप निदेशक अभियोजन का पदस्थापन लोक हित में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

क्र0सं0	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन	वि0वि0
1.	श्री अशोक कुमार बम्नावत	उप निदेशक अभियोजन, मुख्यालय जयपुर पद के विरुद्ध कार्यरत	उप निदेशक अभियोजन, मुख्यालय जयपुर	रिक्त पद / आदेश प्रभावी दिनांक 01.08.2016 से
2.	श्री प्रमोद कुमार बिहाणी	सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर	उप निदेशक अभियोजन, रा0उच्च न्यायालय, जोधपुर	रिक्त पद
3.	श्री महासिंह राव	उप निदेशक अभियोजन, रा0उच्च न्यायालय, जयपुर पद के विरुद्ध कार्यरत	उप निदेशक अभियोजन, रा0उच्च न्यायालय, जयपुर	रिक्त पद
4.	श्री राधेश्याम जांगिड	सहायक निदेशक अभियोजन, सीआईडी सीबी जयपुर	उप निदेशक अभियोजन, बीकानेर	रिक्त पद
5.	श्री सुशील कुमार शर्मा	सहायक निदेशक अभियोजन, बाडमेर	उप निदेशक अभियोजन, जोधपुर।	रिक्त पद
6.	श्री मोहम्मद अयाज झुन्झुनु	सहायक निदेशक अभियोजन, झुन्झुनु	उप निदेशक अभियोजन, जयपुर द्वितीय	श्री मीणा के सेवानिवृत्ति दिनांक 29.07.2016 से रिक्त होने पर प्रभावी।
7.	श्री गजानन्द गुप्ता	सहायक निदेशक अभियोजन, करौली	उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर	रिक्त पद
8.	श्री अरुण माथुर	सहायक निदेशक अभियोजन, सतकर्ता जयपुर मुख्यालय	उप निदेशक अभियोजन, जयपुर प्रथम	रिक्त पद
9.	श्री लक्ष्मीरमेश चौधरी	सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर	उप निदेशक अभियोजन, अजमेर	श्री माली के स्थान पर
10.	श्री महेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक अभियोजन, मुख्यालय जयपुर	उप निदेशक अभियोजन, एसीबी मुख्यालय जयपुर	श्री पारिस के स्थान पर

उपरोक्त अधिकारीगण आदेश की अनुपालना में अविलम्ब नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

आज्ञा से,  
14/7/16  
विशिष्ट शासन सचिव, गृह  
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
4. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. निदेशक अभियोजन, 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
7. सम्बन्धित जिला कलक्टर।
8. निदेशक, वादकरण जयपुर।
9. समस्त उप निदेशक अभियोजन।
10. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन।
11. सम्बन्धित अधिकारीगण।/रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह  
एवं संयुक्त विधि परामर्शी